संख्या– 166 /XVIII(1)/11–03(15)/2009

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादून दिनांक 02 फरवरी, 2011

विषय– राजस्व पुलिस एवं भू–लेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा में राजस्व निरीक्षक (मैदानी/पर्वतीय) प्रशिक्षण परीक्षा की बाध्यता को समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3422/मु0रा0आ0/2010 दिनांक 25.05.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–29 मु0मंत्री/18(1)/2004 दिनांक 06.08.2004, शासनादेश संख्या–867/18(1)/2004 दिनांक 01.10.2004 तथा शासनादेश संख्या–470(1)/XVIII(1)/09 दिनांक 30.10.2009 को अतिक्रमित करते हुए प्रशिक्षण आदि के संबंध में निम्न व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. राजस्व निरीक्षक पद पर प्रोन्नति से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि साढ़े चार माह की होगी।
2. साढ़े चार माह के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा द्वारा यथाआवश्यकता उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी/मुख्य राजस्व आयुक्त से परामर्श प्राप्त कर निर्धारित किया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त संस्थान द्वारा एक सरलीकृत परीक्षा का आयोजन अपने स्तर पर किया जायेगा।
3. प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम 2 अवसर दिये जायेंगे। परीक्षा में सफल होने पर ही प्रशिक्षणार्थियों को संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र भी संस्थान द्वारा इन अवसरों के बाद निर्गत किया जायेगा। संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक प्रशिक्षु को राजस्व निरीक्षक पद पर विनयमित नहीं किया जायेगा।
4. परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी कार्मिक की ज्येष्ठता प्रभावित नहीं होगी। ज्येष्ठता के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य में लागू एवं समय–समय पर संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्रावधान लागू रहेंगे।

2– कृपया उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में तद्नुसार संशोधन हेतु आलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव।

–2–

संख्या 1660 /XVIII–(1)/11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख–सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा।
5. निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव।